(वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा)

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित :02.08.2021
निर्णय घोषित: 24.08.2021

\+ ज़मानत अर्ज़ी 2493/2019

तेज राम शर्मा ... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री चंदर एम मैनी एवं श्री मयंक मैनी, अधिवक्तागण ।

बनाम

राज्य ...प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री मुकेश कुमार, राज्य के अति. लो. अभि. के साथ जांच अधिकारी| सुश्री ऋचा धवन, अभियोक्त्री की (डीएचसीएलएससी) अधिवक्ता द्वारा

कोरम:
माननीय न्यायाधीश श्री रजनीश भटनागर

आदेश

न्या.,रजनीश भटनागर

1. वर्तमान जमानत अर्जी याचिकाकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत दायर की गई है जो पुलिस थाना रणहोला में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी/354 डी/354/506 एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राथमिकी सं. 438/2018 में जमानत की मांग करती है।

2. संक्षेप में कहा गया है, मामले के तथ्य यह हैं कि दिनांक 18.7.2018 को अभियोक्त्री सुश्री पी. की शिकायत पर तेजराम भारद्वाज उर्फ़ पंडित और योगेश के खिलाफ उपरोक्त प्राथमिकी के द्वारा एक मामला पुलिस थाना रणहोला में एक मामला दर्ज किया गया था। यह शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता, अभियुक्त तेजराम भारद्वाज की पड़ोसी थी और उसके परिवार को 2016 में अभियुक्त की मदद से किराए पर जगह मिली जिसके कारण अभियोक्त्री अभियुक्त तेजराम और उनके परिवार के सदस्य से परिचित हो गयी और वह अभियुक्त तेजराम भारद्वाज के घर जाती थी। यह आगे आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री का हाथ पकड़ लिया और जब भी उसे अकेला पाया तो अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया।यह आगे आरोप लगाया गया है कि मई-जून 2017 महीने में एक दिन दोपहर में अभियुक्त तेजराम भारद्वाज ने अपने आवास

पर अभियोक्त्री को इस बहाने बुलाया कि उसकी पत्नी उसे किसी काम के लिए बुला रही है और उसके बाद, अभियोक्त्री अकेले अभियुक्त तेजराम के घर पहुँची । यह आगे आरोप लगाया गया है कि जब वह आरोपी के घर में घुसी तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और अभियोक्त्री ने वहां एक और व्यक्ति योगेश (तेजराम के बहनोई) को पाया। आगे आरोप है कि अभियुक्त तेजराम ने अपने हाथ से मुंह दबाकर एक कमरे में जबरदस्ती अभियोक्त्री को ले गया और उसके साथ बलात्कार किया और अभियुक्त योगेश ने उनका वीडियो बनाया।

3. यह आगे आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त तेजराम ने अभियोक्त्री को धमकी दी कि अगर वह इस घटना का खुलासा किसी को भी करेगी तो वह वीडियो को वायरल कर देगा। आगे आरोप है कि वीडियो प्रसारित करने के बहाने आरोपी ने अभियोक्त्री को ब्लैकमेल किया और उसके साथ कई बार बलात्कार किया। यह आगे आरोप लगाया गया है कि अभियोक्त्री ने अभियुक्त तेजराम के कारण अपना निवास स्थान बदल दिया लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा और उसे ब्लैकमेल करता रहा और उसके साथ बलात्कार करता रहा।यह आगे आरोप लगाया गया है कि अभियोक्त्री गर्भवती हो गई और उसने अभियुक्त तेजराम को इसकी सूचना दी जिसने उसे कुछ दवाइयाँ दीं और उन्हें लेने की धमकी दी।यह आगे आरोप लगाया गया है कि अभियोक्त्री ने अपनी मां को उसकी गर्भावस्था और अभियुक्त तेजराम के कृत्य के बारे में सूचित किया और जब उसके माता-पिता ने अभियुक्त तेजराम से पूछताछ

की, तो उसने उसके माता-पिता को धमकी दी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

4. मैंने याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता और राज्य के फ़ाज़िल अति. लो. अभि. को सुना है और राज्य की ओर से दायर स्थिति आख्या का अवलोकन किया है|

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता 30 वर्ष का एक निर्दोष युवक है, और वह दिनांक 19.7.2019 से न्यायिक हिरासत में है।याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता पहले जमानत के लिए इस न्यायालय के समक्ष आया था जिसकी ज़मानत दिनांक 14.12.2018 के आदेश के द्वारा वापस लेने के रूप में ख़ारिज कर दी गयी थी और याचिकाकर्ता को पीड़िता का बयान अभिलिखित होने के बाद एक नया जमानत आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि अब पीड़िता का बयान अभिलिखित किया जा चुका है और इसलिए यह आवेदन जमानत प्रदान करने की मांग करता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलिखित पीड़िता की गवाही में पीड़िता के द्वारा उस शिकायत के सम्बन्ध में बड़े सुधार किये गए हैं जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसका बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था।

6. याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को शीघ्र विचारण का अधिकार है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित किया गया है।इस विवाद के समर्थन में, उन्होंने आपराधिक अपील संख्या 227/2018 जिसका शीर्षक है ***दाताराम सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (दिल्ली का एनसीटी) (2018) 12 एससीसी 129,*** पर भरोसा किया है और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क देने के लिए, कि यदि मुकदमे में देरी होती है तो अभियुक्त को विलंबित मुकदमे के आधार पर दूसरी जमानत अर्जी को दायर करने का अधिकार है ***गणेश राज बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 2005 Crl LJ 2086*** के मामले में निर्णय पर भी भरोसा किया गया है |

7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त को दिनांक 4.10.2018 को जमानत दी गयी थी| याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आरोपों को अत्यधिक विलंबित किया गया है और लगभग एक वर्ष की देरी की काफी अवधि के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है।

8. फ़ाज़िल अति. लो. अभि. ने स्थिति आख्या की तर्ज पर तर्क दिया है और प्रस्तुत किया है कि पीड़िता ने मुख्य परीक्षण में अपने मामले का समर्थन किया है और प्रति परीक्षण की परीक्षा दी है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता की

गवाही में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी गवाही पर विश्वास न किया जाए । यह फ़ाज़िल अति. लो. अभि. द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप गंभीर एवं संगीन हैं और यह घटना के समय पीड़ित नाबालिग थी, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी।

9. वर्तमान मामले में, पीड़िता की गवाही दिनांक 15.1.2021 को अभिलिखित एवं निष्कर्षित की गई । याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पीड़िता के बयान पर विश्वास किया जिसने विचारण न्यायालय के समक्ष PW-1 के रूप में याचिकाकर्ता को जमानत देने के समर्थन में ब्यान दिया है। तर्कों के दौरान, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीड़िता ने अपने बयानों Ex. PW1/A और Ex. PW1/B पर बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं। मैंने PW-1 के ब्यान का अवलोकन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पीड़ित की गवाही के गुणों या अवगुणों पर चर्चा करने या उसकी गवाही का गहराई से विश्लेषण करने का चरण नहीं है लेकिन कोई भी इस तथ्य को नज़रंदाज़ नहीं कर सकता है कि पीड़िता ने अपने बयानों Ex. PW1/A और Ex. PW1/B में बड़े सुधार किए गए हैं और उसके प्रति परीक्षण के दौरान, दोनों बयानों को उसके सामने रखा गया जिसमें पीड़िता द्वारा मुख्य परीक्षा में उल्लिखित तथ्यों का उल्लेख उसके बयानों Ex. PW1/A और Ex.PW1/Bमें उल्लिखित नहीं है जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं।

10. अब जहां तक पीड़िता की गवाही में सुधार का क्या प्रभाव होगा, यह परीक्षण के दौरान देखा जाएगा जब अन्य साक्ष्य अभिलेख पर रखे जायेंगे। हालांकि, मेरी राय में, याचिकाकर्ता, वर्तमान मामले में, जमानत देने के लिए उत्तरदायी है।इसलिए, इन परिस्थितियों में, चूंकि याचिकाकर्ता दिनांक 19.7.2019 से न्यायिक हिरासत में है, इसलिए सह अभियुक्त को पहले ही जमानत दी जा चुकी है, पीड़िता की भी जांच की जा चुकी है, और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है क्योंकि मुख्य गवाह की पहले ही जांच की जा चुकी है, याचिकाकर्ता को संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 25,000/- रु की राशि के एक व्यक्तिगत बंध पत्र के साथ समान राशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसकी जमानत स्वीकार की जाती है।

11. जमानत अर्जी का निपटान किया जाता है।सभी लंबित आवेदन तदनुसार निपटाए जाते हैं।

12. उपरोक्त में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जो कि मामले के गुण पर किसी भी राय की अभिव्यक्ति के तुल्य होगा।

न्या. रजनीश भटनागर

अगस्त 24, 2021
आई बी

(SUVAS :Translation has been done through AI Tool)

अस्वीकरण *:देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा /समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु आदेश का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी/*